न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2018/00078 (38/2018) दायरा दिनांक : 09.03.2018

उनवान

1– हेमराज सिंह उर्फ हेमन्त सिंह पुत्र तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा

2– लक्ष्मण सिंह पुत्र तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा

.... अपीलांट

बनाम

1– पर्वत सिंह पुत्र जवाहर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–

1/1– महेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/2– राजेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/3– विद्या हाडा पुत्री पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/4– सरदार कंवर बेवा पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– शम्भू सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी कोटा जिला कोटा राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–

2/1– केशवकान्त सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा राजस्थान

2/2– दुर्गेश सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा राजस्थान

2/3– अर्जुन सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा राजस्थान

2/4– मोहन कंवर बेवा शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा राजस्थान

2/5– राजलक्ष्मी पुत्री पुत्र शम्भू सिंह पत्नी अशोक सिंह भदोरिया, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 180 बी कोटा जिला कोटा राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

3– सुरेन्द्र सिंह उर्फ सूरज सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी कोटा जिला कोटा राजस्थान

4– अमर सिंह पुत्र जवाहर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–

4/1– भंवरी बाई बेवा अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

4/2– खुमान सिंह पुत्र अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

4/3– ज्ञानकंवर पत्नी ईश्वर सिंह पुत्री अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी घाटोली, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

5– गिरधारी पुत्र माधो, जाति मीना, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–

5/1– प्रकाश पुत्र गिरधारी, जाति मीना, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

5/2– बाबू लाल पुत्र गिरधारी, जाति मीना, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

5/3– धनकुंवर पुत्री गिरधारी, पत्नी सियाराम जाति मीना, निवासी हरिनगर कॉलोनी, डिक्टी जी के मंदिर के पास, झालावाड,राजस्थान

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री पूरी लाल राठौर अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1/1 ल0 1/4 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक : 23.12.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 1088/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट पर्वत सिंह ने एक दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम हतोली पटवारी हल्का भू अभिलेख निरीक्षक हल्का अकावद खुर्द, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान सम्वत 2056 से 2059 के अनुसार खतौनी संख्या नयी 53 पुरानी 28 के अन्तर्गत आराजी खसरा नं. 64 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नं. 65 रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं. 66 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं. 117 रकबा 13 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 124 रकबा 4 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा एवं ग्राम जिठानी, पटवार हल्का लटूरी–।। भू अभिलेख निरीक्षक हल्का

(दीपचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बपावरकलां, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान सम्वत 2051 से 2054 के अनुसार खतौनी संख्या नयी 19 पुरानी 19 के अन्तर्गत खसरा नं. 82 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 83 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 180 रकबा 15 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 262 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 4 कुल रकबा 34 बीघा 17 बिस्वा आराजी जवाहर सिंह आत्मज मानसिंह राजपूत के खाते में आराजी स्थित है। ग्राम जेठानी पटवार लटूरी–।। भूअभिलेख निरीक्षक बपावरकलां तहसील सांगोद जिला कोटा सम्वत 2051 से 54 के अनुसार खतौनी संख्या नई 20 पुरानी 20 के खसरा नं. 39 रकबा 17.18 बीघा, खसरा नं. 84 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नं. 260 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 263 रकबा 0.09 बीघा कुल 4 किता की कुल रकबा 18.18 बीघा आराजी जवाहर सिंह, सरदार सिंह के खाते दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खानपुर ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.02.2018 से प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारिज कर वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय एवं डिक्री अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संग्रहसार एवं कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाना परवर्ष केप्रिसियस होने एवं सेल्फ स्पीकिंग न होने से निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2, 5 जाप्ता दीवानी के अन्तर्गत दिनांक 12.04.2017 को इस आशय का पेश किया था जिसमें 8 नई तनकीयात बनाये जाने का अनुरोध किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 01.03.2017 को जो तनकीयात बनाई गई है वह दोनों अधिवक्ताओं की सहमति से कायम की गई है। तनकीयात बनाने का काम न्यायालय का होता है। वर्तमान वाद में ग्राम हथोली, तहसील खानपुर की आराजी एवं ग्राम जिठानी, तहसील सांगोद की आराजी से सम्बन्धित है जिसमें दो वसीयतनामे पृथक पृथक एक वसीयतनामा ग्राम जिठानी का तहसील उपपंजीयक सांगोद द्वारा पंजीयन किया गया था उसे रद्द करने तथा उक्त आराजी के सम्बन्ध में नामान्तरकरण जो तहसीलदार सांगोद द्वारा तस्दीक किये गये थे उन्हें रद्द कराने का अनुतोष वाद में माना गया था जिसके सम्बन्ध में सांगोद उपखण्ड अधिकारी तथा सिविल न्यायालय को ही क्षेत्राधिकार प्राप्त था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम जिठानी के सम्बन्ध में वसीयतनामा रद्द घोषित कर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 को सही प्रकार नहीं बनाया गया है उसमें खतौनी संख्या 20 की 18 बीघा 18 बिस्वा आराजी का 1/2 हिस्सा स्थित होने के सम्बन्ध में बनाई गई है उसका निर्णय वादी के पक्ष में करने में भूल की है । तनकी नम्बर 2 का निर्णय वादी के पक्ष में गलत रूप से कानून के विरूद्ध व शहादत के विरूद्ध किया गया है जो निरस्तनीय है।

तनकी नम्बर 3 अधीनस्थ न्यायालय ने गलत बनाई है वादी अपने वाद पत्र में दोनो वसियतनामों के संबंध में अपने वाद पत्र में यह लिखा है कि आराजी पक्षकारों की पुश्तेनी है तथा जवाहरसिंह को वृद्धावस्था के कारण सोचने समझने की शक्ति कम थी। उन्हें आखो से कम दिखता था। आदि आधारों पर वसीयत को अप्रभावशाली बताया है। दोनो वसीयतों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयतनामा दिनांक 28.04.1995 को फर्जी मानकर भूल की है। इस वसीयतनामें के आधार पर पूर्व में नामांतकरण की कार्यवाही के अन्तर्गत दोनो पक्षकारान की मोजूदगी में गवाहों के बयान लेकर श्रीमान् तहसीलदार साहब ने वसीयतनामा वैध

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व साबित माना थां। उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी ने कोई अपील पेश नहीं की थी। अतः निर्णय तहसीलदार साहब खानपुर रेसज्यूडिकेटा था। वसीयतनामा ग्राम हथोली दिनांक 28.04.1995 को अधीनस्थ न्यायालय ने सिर्फ गवाह शिवदत्त शर्मा पीडब्ल्यू–3 नोटेरी के बयानों पर विश्वास कर वसीयतनामें को फर्जी मानकर भूल की है। जबकि कानूनन वसीयतनामें का रजिस्ट्रेशन कराना ओर नोटेरी कराना आवश्यक नहीं है। रेस्पोंडेंट के अटेस्टींग विटनेश की मृत्यु हो चुकी है। उसके गवाह भीमसिंह के बयान तहसील खानपुर में तहसीलदार साहब के समक्ष जांच के दौरान कराये गये थे जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलांट प्रतिवादी ने न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित कराई है। उक्त गवाह ने जवाहरसिंह द्वारा वसीयतनामा निष्पादित करना साबित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वसीयतनामें के संबंध में वादी ने दो शपथ पत्र नोटेरी से तस्दीक शुदा शंकरलाल एवं बनवीरसिंह के पेश किये है जो तस्दीक शुदा प्रदर्श पी–6, पी–7 को सही मानकर भूल की है। दोनो शपथ पत्र पेशकर्ता के बयान वादी द्वारा न्यायालय में नहीं कराये गये है ओर न उनसे कोई अपीलांट के द्वारा जिरह ही की गई है। यह दोनो शपथ पत्र शंकरलाल व बनवीरसिंह के है। जिनको कानूनन साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसियत के संबंध में इस शपथ पत्रों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाले है वह कानून के विरूद्ध है। वादी ने स्वयं ने ही अपने वाद पत्र में जवाहरसिंह के फर्जी हस्ताक्षर होने के संबंध में कोई प्लीडींग नहीं की है। ओर न ही वादी ने अपने मुख्य परीक्षण में जवाहरसिंह द्वारा हस्ताक्षर करना नहीं लिखा है। इसी प्रकार ग्राम जिठानी का वसीयतनामा दिनांक 03.04.1991 के संबंध में जो उसे फर्जी मानकर इस तनकी का निर्णय दिया है। वह साक्ष्य के विपरित है। जवाहरसिंह वसीयत करते समय 85–90 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे। उनके दोनो वसियतनामों पर हस्ताक्षरों में मामूली भिन्नता होना स्वभाविक है। चूंकि दोनो वसीयतनामों में 4 वर्ष का अन्तर है। वसीयतनामा ग्राम जिठानी रजिस्टर्ड है। जिसके संबंध में कानून में सही होने का प्रिजम्पशन होता है कि वह सही है। वसीयतनामा ग्राम हथोली व जिठानी के संबंध में पूर्व में ही न्यायालय तहसीलदार साहब द्वारा विस्तृत जांच वादी की उपस्थिति में कर ली गई थी। गवाहन के बयान भी उसी समय ले ली गई थी। उक्त निर्णय व जांच को अधीनस्थ न्यायालय ने सही न मानकर भूल की है। इस संबंध में वहां यह भी निवेदन किया जा रहा है कि असल दस्तावेज वसीयतनामा पत्रावली से गायब कर दिया गया है। इस संबंध में भी बार बार निवेदन करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उक्त वसियत नामा गायब किये गये संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह वसीयतनामा 28.04.1995 का था जो पत्रावली से गायब किया गया है। इसी संबंध में गवाह शिवदत्त शर्मा के बयान वादी के शहादत में समाप्त होने के बाद तथा प्रतिवादी की शहादत समाप्त होने के बाद अवैध रूप से लिये गये है और प्रतिवादी को उसके खण्डन का कोई अवसर नहीं दिया गया है।

पत्रावली माननीय अपील न्यायालय से रिमाण्ड होकर अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त हुई थी परन्तु रिमाण्ड के बाद तहसीलदार सांगोद को कोई नोटिस नहीं भिजवाये गये हैं इस कारण भी निर्णय निरस्त होने योग्य है । वादी द्वारा जो दावे में दादरसियां मांगी गई थी वह माननीय न्यायालय में अपने निर्णय के पेज नम्बर 3 के आखरी पैरे में 1 लगायत 5 नम्बर पर दर्ज की है जिसमें कहीं भी विवादित आराजी का विभाजन कर पृथक पृथक खाते दर्ज कराने का कोई अनुतोष नहीं मांगा था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों ग्रामों की आराजी के विभाजन हेतु डिक्री जारी कर दी जो कानूनी प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का काउंटर क्लेम एवं उनके द्वारा पेश किया गया

(दीप्ति चन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दावा हस्ब धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज कर भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 निरस्त की जावे ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर दस्तावेजात रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी ग्राम हथौली व ग्राम जेठानी की है दोनों आराजी अलग अलग उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्र में होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। दोनों वसीयतनामे की जांच का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। वर्तमान में आराजी हथोली परवन सिंचाई परियोजना में अधिग्रहण हो चुकी है तथा अवाप्ति आदेश जारी हो चुके है। हमने बंटवारे का कोई रिलिफ नहीं मांगा, अधीनस्थ न्यायालय ने जो किया है वो गलत है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2022 (2) पेज 921, आरआरटी 2020 (1) पेज 271, आरआरटी 2018 (2) पेज 848, आरआरटी 2018–19 पेज 463 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि सम्पूर्ण आराजी मानसिंह से जवाहरसिंह को प्राप्त हुई। वसीयत रजिस्टर्ड होने के बाद भी गवाह से प्रूफ होना आवश्यक होता है। वाइड डिकलेयर कराने के लिए राजस्व न्यायालय सक्षम है। राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रूफ के रूप में देख सकता है। अधिग्रहण की कार्यवाही बाद में हुई। वाद सन् 2002 से चल रहा है। परवन सिंचाई परियोजना में ग्राम हथोली की जमीन अधिगृहित हुई है ग्राम जेठानी की नहीं। भूमि अवाप्ति अधिकारी को हिस्सा व हक निर्धारित करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण जमीन का 1/4 – 1/4 हिस्सा निहित किया है जो नियमानुसार सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो तनकी बनाई है वह विधिक बिंदुओं पर ही बनायी गयी है जो सही है। तनकी से असंतुष्ट थे तो राजस्व मण्डल में रिविजन पर जाना चाहिए। खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु राजस्व न्यायालय को अनन्य अधिकार प्राप्त है। अतः अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत रखा जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1995 पेज 478, आरआरटी 2016 (2) पेज 1442, आरआरटी 2009 (1) एस.सी. पेज 685, आरआरटी 2016 (2) पेज 1394, आरआरटी 2019 (2) पेज 1039 उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी.पी. सी. के तहत दस्तावेज की छायाप्रति पेश की है। अतः दस्तावेज प्रकरण से संबंधित होने के कारण न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

सर्वप्रथम हमने प्रकरण का विस्तृत अध्ययन किया। प्रकरण के मुख्य तथ्य निम्नानुसार है :–

अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का पेश किया कि ग्राम हतोली तहसील खानपुर की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जमाबंदी संवत 2056–59, खतौनी संख्या 53 खसरा नं. 64 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 65 रकबा 9.08 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 117 रकबा 13.01 बीघा एवं खसरा नं. 124 रकबा 0.04 है0 कुल किता 5 रकबा 23.12 बीघा आराजी स्थित है।

उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण कम 3 व 4 (अमर सिंह व तेजसिंह) के बाबा तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 शंभुसिंह पुत्र भंवर सिंह, सुरेन्द्र सिंह उर्फ सुरेन्द्र सिंह) के दादा मानसिंह जी के खाते दर्ज थीं। मानसिंह के तीन लडके जवाहर सिंह, सरदार सिंह व सार्दुल सिंह थे। मानसिंह की मृत्यु के बाद उक्त तीनों पुत्रों के नाम खाते बराबर दर्ज हुई। जवाहर सिंह ने अपने पुत्र भंवर सिंह व पर्वतसिंह की औलाद से सरदार सिंह व सार्दुल सिंह को रूपये देकर उनके हिस्से की हतोली की पुश्तैनी आराजी अपने नाम दर्ज कराली।

ग्राम जेठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा की जमाबंदी संवत 2051–54 खतौनी संख्या 19 खसरा नं. 82 रकबा 14.14 बीघा, खसरा नं. 83 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नं. 180 रकबा 15.09 बीघा, खसरा नं. 262 रकबा 1.02 बीघा, कुल किता 4 रकबा 34.17 बीघा आराजी जवाहर सिंह आत्मज मानसिंह के खाते दर्ज थी। इंतकाल नम्बर 203 दिनांक 02.01.1997 जवाहरसिंह के स्थान पर अमर सिंह व तेजसिंह अर्थात प्रतिवादी नं. 3 व 4 के नाम खातेदार के रूप से जमाबंदी में दर्ज है।

ग्राम जेठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा जमाबंदी संवत् 2051–54 की खतोनी संख्या 20 खसरा नं. 39 रकबा 17.18 बीघा, खसरा नं. 84 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नं. 260 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 263 रकबा 0.09 बीघा, कुल किता 4 रकबा 18.18 बीघा आराजी जवाहर सिंह, सरदार सिंह सा.देह के खाते दर्ज है। जो नामांतकरण संख्या 189 दिनांक 17.11.1995 से खसरा नं. 39 की हिस्सा 1/2 गिरधारी आत्मज माधो, जाति मीणा के नाम जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से दर्ज हुई। वाद पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित भूमि ग्राम हतोली तहसील खानपुर जमाबंदी 2056–59 खतौनी संख्या नयी 53 खसरा नं. 64 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 65 रकबा 9.08 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 117 रकबा 13.01 बीघा एवं खसरा नं. 124 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 5 रकबा 23.12 बीघा आराजी स्थित है। जिसके अनुसार प्रतिवादी कम 5 व 6 (भंवरबाई पत्नी अमरसिंह व भंवरसिंह पत्नी तेजसिंह) का वसीयत के आधार पर 2/3 हिस्सा होना वर्णित किया है। जिस वसीयत के आधार पर प्रतिवादी नं. 5 व 6 का नाम दर्ज किया है। यह वसीयत फर्जी व बनावटी थी। वसीयतकर्ता द्वारा कोई वसीयत प्रतिवादी कम 5 व 6 के पक्ष में निष्पादित नहीं की गयी। जिस जमीन का वसीयत करना बताया गया है वह पुश्तैनी थी जिसकी वसीयत करने का अधिकार वसीयतकर्ता को कानूनन प्राप्त नहीं था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम वसीयत के आधार पर खोला गया नामांतरण गलत है।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि ग्राम हतोली की खसरा नं. 64 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 117 रकबा 13.01 बीघा एवं खसरा नं. 124 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 4 रकबा 14.04 बीघा आराजी वादी के कब्जे काश्त घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में इस आशय की घोषणा फरमायी जावे कि जवाहर सिंह के नाम से दिनांक 03.04.1991 व दिनांक 28.04.1995 को बनाये गये वसीयत नामे कानूनन अवैध व शून्य होने से वादी के विरूद्ध बेअसर है। वादी के पक्ष में प्रतिवादी नं. 3 लगायत 6 इस आशय की स्थायी निषेघाज्ञा जारी फरमायी जावे कि ग्राम हतोली की खसरा नं. 64 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 117 रकबा 13.01 बीघा एवं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नं. 124 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 4 रकबा 14.04 बीघा आराजी या उसके किसी भाग पर प्रतिवादी क. 3 लगायत 6 बेजा मदाखलत व मजाहमत न स्वयं करे न अन्य किसी से करावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.02.2018 से प्रतिवादीगण का काउन्टर साबित नहीं होने से खारिज किया जाकर वादी वाद साबित होने से प्राथमिक डिक्री किया जाकर आदेश दिये कि ग्राम हतोली तहसील, खानपुर की जमाबंदी संवत 2056–59, खतौनी संख्या 53 खसरा नं. 64 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 65 रकबा 9.08 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 117 रकबा 13.01 बीघा एवं खसरा नं. 124 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 5 रकबा 23.12 बीघा आराजी पर वादीगण 1/1 लगायत 1/4 को 1/4 भाग का हिस्सा बराबर से प्रतिवादी नं. 1 लगायत 1/5 को 1/8 भाग का हिस्सा बराबर, प्रतिवादी नं. 2 को 1/8 भाग, प्रतिवादी नं. 3/1 लगायत 3/3 को हिस्सा 1/4 बराबर, प्रतिवादी नं. 4 को हिस्सा 1/4 भाग खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। प्रतिवादी नं. 5 भंवरबाई पत्नी अमर सिंह प्रतिवादी नं. 6 भंवर बाई पत्नी तेजसिंह के वारिसान का नाम विलोपित किया जावे।

ग्राम जेठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा की जमाबंदी संवत 2051–54 खतोनी संख्या 19 खसरा नं. 82 रकबा 14.14 बीघा, खसरा नं. 83 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नं. 180 रकबा 15.09 बीघा, खसरा नं. 262 रकबा 1.02 बीघा, कुल किता 4 रकबा 34.17 बीघा आराजी पर वादीगण 1/1 लगायत 1/4 को 1/4 भाग का हिस्सा बराबर से प्रतिवादी नं. 1 लगायत 1/5 को 1/8 भाग का हिस्सा बराबर, प्रतिवादी नं. 2 को 1/8 भाग, प्रतिवादी नं. 3/1 लगायत 3/3 को हिस्सा 1/4 बराबर, प्रतिवादी नं. 4 को हिस्सा 1/4 भाग खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। मृतक अमरसिंह एवं उनके पुत्रों प्रतिवादी नं. 3/1 लगायत 3/3 एवं प्रतिवादी नं. 4 तेजसिंह का नाम खाते से विलोपित किया जावे।

ग्राम जेठानी तहसील सांगोद जिला कोटा जमाबंदी संवत् 2051–54 की खतोनी संख्या 20 खसरा नं. 39 रकबा 17.18 बीघा, खसरा नं. 84 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नं. 260 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 263 रकबा 0.09 बीघा, कुल किता 4 रकबा 18.15 बीघा आराजी में से खसरा नं. 39 में प्रतिवादी नं.7 गिरधारी के हिस्सा 1/2 भाग को छोडते हुए शेष बची आराजी में वादीगण 1/1 लगायत 1/4 को 1/4 भाग का हिस्सा बराबर से प्रतिवादी नं. 1 लगायत 1/5 को 1/8 भाग का हिस्सा बराबर प्रतिवादी नं. 2 को 1/8 भाग, प्रतिवादी नं. 3/1 लगायत 3/3 को हिस्सा 1/4 बराबर, प्रतिवादी नं. 4 को हिस्सा 1/4 भाग खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाता है। खातेदार जवाहर सिंह द्वारा दिनांक 28.04.1995 अपने पुत्र व पुत्रवधुओं के पक्ष में की गयी वसीयतनामे असत्य एवं अप्रमाणित सिद्ध होने से प्रभावशून्य घोषित की जाती है। साथ ही तहसीलदार खानपुर एवं तहसीलदार सांगोद को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान के हितों का विभाजन राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी तैयार कर प्रस्तुत करे।

तत्पश्चात उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी कम 6/2 व 6/3 द्वारा अपील इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय मनसुख फरमाया जावे। तथा अपीलांट वादीगण का वाद 579/2002 अमरसिंह बनाम पर्वतसिंह डिक्री फरमाये जाने की कृपा करे और वादी पर्वत सिंह द्वारा पेश किया गया वाद खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न एक्जीविट पी–1 ग्राम हतोली तहसील खानपुर की जमाबंदी संवत 2056–59, खतौनी संख्या 53 खसरा नं. 64 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नं. 65 रकबा 9.08 बीघा, खसरा नं. 66 रकबा 0.08 बीघा, खसरा नं. 117 रकबा 13.01 बीघा एवं खसरा नं. 124 रकबा 0.04 बीघा कुल किता 5 रकबा 23.12 बीघा आराजी भंवरबाई पत्नी अमर सिंह, भंवरबाई पत्नी तेजसिंह कोम राजपूत निवासी जेठानी हिस्सा 2/3 हिस्सा बराबर, पर्वतसिंह, अमरसिंह, तेजसिंह पिता जवाहर सिंह हिस्सा 1/4 बराबर, शंभूसिंह, सूरजसिंह पिता भंवरसिंह हिस्सा 1/12 कोम राजपूत खाते दर्ज है।

(उक्त आराजी पूर्व में जवाहर सिंह पुत्र मानसिंह कोम राजपूत के नाम खाते दर्ज थी जो बाद में नामान्तरण संख्या 109 दिनांक 22.04.99 से जरिये रजिस्टर्ड वसीयत के भंवरबाई पत्नी अमर सिंह, भंवरबाई पत्नी तेजसिंह कोम राजपूत निवासी जेठानी हिस्सा 2/3 हिस्सा बराबर, पर्वतसिंह, अमरसिंह, तेजसिंह पिता जवाहर सिंह हिस्सा 1/4 बराबर, शंभूसिंह, सूरजसिंह पिता भंवरसिंह हिस्सा 1/12 कोम राजपूत खाते दर्ज हुई।)

एक्जीविट पी 2 ग्राम जेठानी, तहसील सांगोद जिला कोटा की जमाबंदी संवत 2051–54 खतौनी संख्या 19 खसरा नं. 82 रकबा 14.14 बीघा, खसरा नं. 83 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नं. 180 रकबा 15.09 बीघा, खसरा नं. 262 रकबा 1.02 बीघा, कुल किता 4 रकबा 34.17 बीघा आराजी मृतक जवाहर सिंह के स्थान पर मुताबिक रजिस्टर्ड वसीयत अमर सिंह, तेजसिंह पुत्र जवाहर सिंह हिस्सा बराबर खाते दर्ज है।

ग्राम जेठानी तहसील सांगोद जिला कोटा जमाबंदी संवत् 2051–54 की खतोनी संख्या 20 खसरा नं. 84 रकबा 0.01 बीघा, खसरा नं. 260 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नं. 263 रकबा 0.09 बीघा, कुल किता 3 रकबा 0.17 बीघा आराजी जवाहर सिंह सरदार सिंह पुत्र मानसिंह हिस्सा बराबर एवं खसरा नं. 39 रकबा 17.18 बीघा जवाहर सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत हिस्सा 1/2, गिरधारी पुत्र माधो जाति मीना वास गांव हिस्सा 1/2 खाते दर्ज है।

(नामांन्तरण संख्या 189 दिनांक 17.11.95 से जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र खसरा नं. 39 रकबा 17.18 बीघा हिस्सा 1/2 सरदार सिंह के स्थान पर गिरधारी पुत्र माधो जाति मीना वास गांव हिस्सा 1/2 खाते दर्ज हुई।)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में एक रजिस्टर्ड वसीयत सलंग्न है जिसमें वसीयतकर्ता जवाहरसिहं द्वारा दिनांक 03.04.1991 को ग्राम जेठानी की आराजी खसरा नं. 82 रकबा 14.14 बीघा, खसरा नं. 83 रकबा 3.12 बीघा, खसरा नं. 180 रकबा 15.09 बीघा, खसरा नं. 262 रकबा 1.02 बीघा, कुल किता 4 रकबा 34.17 बीघा आराजी की वसीयत अपने पुत्र अमर सिंह व तेजसिंह के नाम की गयी है।

हमने वाद के उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का गहनता से अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रदर्शो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के पूर्व निर्णय दिनांक 10.03.2008 की पालना में पक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज ग्राम हथोली व जेठानी की समस्त विवादग्रस्त आराजी के बारे में सहखातेदारों के स्वत्वों का निर्धारण पक्षकारों की विधिवत् सुनवाई करने के बाद किया है, जो प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2008 की पालना में किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने

(कीर्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व गवाहों के बयानों के आधार पर तनकीवार विवेचन करते हुए विस्तृत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 1 को वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए यह माना है कि ग्राम हथोली एवं ग्राम जेठानी में स्थित प्रश्नगत आराजी वादी एवं उनके भाईयों के पिता जवाहर सिंह की थी। कानूनी रूप से वादी और उसके भाई उत्तराधिकारी की हैसियत से उक्त प्रश्नगत आराजी में समभाग से हिस्सा प्राप्त करने के हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रेकार्ड से भी यह स्वतः स्पष्ट है। तनकी नं. 2 में वादी को यह साबित करना था कि वादी अपने पिता जवाहरसिंह द्वारा आपसी समझोते से किये गये मौखिक बंटवारें के अनुसार ग्राम हथोली की खसरा नं. 64 की 0.11 बीघा, खसरा नं. 66 की 0.08 बीघा, खसरा नं. 117 की 13.01 बीघा, खसरा नं. 124 की 0.04 बीघा कुल 14.04 बीघा आराजी प्राप्त हुई जिसपर वादी खातेदार टीनेन्ट घोषित होने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादी के विरूद्ध निर्णित करते हुए अंकित किया है कि वादी मौखिक बंटवारे को मौखिक साक्ष्य से साबित करने में असफल रहा है। साथ ही खातेदारों के मध्य होने वाले मौखिक बंटवारे का साक्ष्य के रूप में कोई मूल्य नहीं होता अतः वादी को प्रश्नगत आराजी पर मौखिक बंटवारे के आधार पर खातेदार टीनेन्ट घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष उचित प्रतीत होता है क्योंकि विभाजन के दावे में उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सहमति के अभाव में पूर्व के मौखिक पारिवारिक बंटवारे के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा विधिसम्मत नहीं मानी जा सकती। तनकी नं. 3 में वादी को यह साबित करना था कि वादी के पिता जवाहर सिंह द्वारा दिनांक 03.04.1991 तथा 28.04.1995 को निष्पादित वसीयतनामा फर्जी व अवैध होने कारण शून्य है तथा वादी के विरूद्ध बेअसर है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 को वादी के पक्ष में निर्णित करते हुए अंकित किया है कि *"वसीयतनामा के संबंध में सबसे विश्वसनीय कडी उस पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर करने वाले गवाह माने जाते हैं, क्योंकि वसीयतनामा जिसकी ओर से निष्पादित होना बताया जाता है वह इस संसार में नहीं है। वसीयतनामा के साक्षी ही यह साबित कर सकते हैं कि इसका निष्पादन एवं हस्ताक्षर उनके सम्मुख वसीयतकर्ता ने किये या नहीं। प्रश्नगत प्रकरण में दो साक्षी 1. शंकरलाल एवं 2 बनवीरसिंह है। प्रदर्श पी–6 से स्पष्ट है कि शंकरलाल ने अपने फोटो सहित एवं नोटेरीकृत शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि मैं और जवाहरसिंह दोनों भूतपूर्व सैनिक हैं तथा दोनों हर माह पेंशन लाने के लिये सांगोद तहसील जाते रहे हैं. इसलिये हमारी जान पहचान है। दिनांक 03.04.1991 को मैंने जवाहरसिंह आत्मज मानसिंह जाति राजपूत निवासी जिठानी तहसील सांगोद की किसी वसीयत पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये और न ही मैंने किसी वसीयत पर अंगूठा लगाया। मेरे सामने श्री जवाहरसिंह ने कोई वसीयत ग्राम जिठानी तहसील सांगोद की कृषि भूमि की नहीं की, न मेरे सामने कोई वसीयत तैयार की गई, न ही मेरे सामने श्री जवाहरसिंह ने कोई हस्ताक्षर किसी वसीयत पर किये और न ही बनवीरसिंह आत्मल भैरूदानसिंह ने मेरे सामने श्री जवाहरसिंह की किसी वसीयत पर कभी हस्ताक्षर किये। हमने प्रश्नगत वसीयतनामा और शंकरलाल के शपथपत्र पर शंकरलाल के हस्ताक्षरों का मिलान करने से भी यह सुस्पष्ट है कि उक्त हस्ताक्षर भिन्न भिन्न है। अतः विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वसीयतनामा पर साक्षी के रूप में शंकरलाल के हस्ताक्षर नहीं है तथा न ही उक्त वसीयतनामा साक्षी शंकरलाल के समक्ष निष्पादित किया गया।*

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रदर्श पी–7 शपथ पत्र बनवीरसिंह के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वसीयतनामा पर साक्षी के रूप में दर्शित बनवीरसिंह पुत्र भैरूदानसिंह आयु 59 वर्ष निवासी दौरानी तहसील सांगोद द्वारा स्व हस्ताक्षरित, स्वंय की फोटो सहित नोटेरीकृत शपथ–पत्र पेश कर प्रकट किया है कि जवाहरसिंह द्वारा ग्राम जिठानी की कृषि भूमि से संबंधित की गई वसीयत दिनांक 03.04.1991 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मैंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं तथा न ही जवाहरसिंह ने उक्त दिनांक को मेरे समक्ष कोई वसीयत की। हमने प्रश्नगत वसीयतनामें पर साक्षी के रूप में बनवीरसिंह की ओर से किये गये हस्ताक्षर एवं बनवीरसिंह द्वारा शपथ–पत्र पर किये गये हस्ताक्षरों का मिलान भी किया, जिससे यह सुस्पष्ट है कि दोनों हस्ताक्षरों में कोई समानता नहीं है।

साथ ही यह भी अवलोकनीय है कि बनवीरसिंह ने प्रतिवादी साक्ष्य की ओर से भी की है, जो प्रदर्श डीडब्ल्यू–1 है, डीडब्ल्यू–1 से स्पष्ट है कि बनवीरसिंह जो कि प्रश्नगत वसीयत का साक्ष्य पेश साक्षी है ने बयान किया कि जवाहरसिंह ने वसीयत 82, 83, ख0नं0 की 18.16 बीघा कुआ की, एक बाडा 262 नम्बर का इस जमीन की वसीयत कराई। वसीयत कागज पर लिखाई। वसीयत किसने लिखी मुझे याद नहीं वसीयत दोनों औरतों के नाम कराई। प्रदर्श पी– 7 पर मेरा ही फोटो है, हस्ताक्षर में नहीं पढ़ सकता।

प्रश्नगत वसीयतनामा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि यह हाथ से न लिखकर टाईप किया हुआ है। वसीयतनामा दोनों औरतों के नाम न लिखकर अमरसिंह एवं तेजसिंह के नाम किया जाना अंकित है। प्रश्नगत वसीयतनामा, शपथपत्र एवं जिरह के दौरान गवाह बनवीरसिंह द्वारा किये गये हस्ताक्षर परस्पर भिन्न हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गवाह बनवीरसिंह द्वारा परस्पर विरोधाभासी कथन किये गये हैं तथा गवाह यह साबित करने में असफल रहा है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत किसके पक्ष में लिखी, किस किस कृषि भूमि की वसीयत की गई, वसीयत का लेखक कौन था, एक ओर जहां यह वादी के पक्ष में अपनी फोटो एवं नोटेरीकृत शपथ–पत्र पेश करके यह कथन करता है कि उसके सम्मुख जवाहरसिंह ने कोई वसीयत नहीं की तथा न ही उसने किसी वसीयत पर हस्ताक्षर किये। वह जिरह के दौरान वादी के पक्ष में पेश शपथ–पत्र पर अपनी फोटो होना स्वीकार भी करता है, वहीं दूसरी ओर वह प्रतिवादीगण के पक्ष में गवाही देने उपस्थित होता है, परंतु उसे यह नहीं ज्ञात की जवाहरसिंह ने वसीयत किसके पक्ष में की, किस जमीन की वसीयत की। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि प्रतिवादी साक्ष्य बलवीरसिंह के बयान विश्वसनीय न होने, परस्पर विरोधाभासी होने एवं प्रश्नगत वसीयतनामा के कथनों को प्रमाणित नहीं कर पाने के कारण ऐसे गवाह को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है तथा न ही प्रश्नगत वसीयतनामा प्रमाणित माना जा सकता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 03.04.1991 पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं होने, वसीयतनामा के साक्षियों के हस्ताक्षर प्रमाणित नहीं होने, वसीयतनामा के साक्षी शंकरलाल द्वारा स्वंय के फोटोयुक्त, हस्ताक्षरित एवं नोटेरीकृत शपथ–पत्र द्वारा उक्त वसीयतनामा की पुष्टि नहीं किये जाने, साक्षी बनवीरसिंह द्वारा परस्पर विरोधाभासी एवं अविश्वसनीय कथन करने, वसीयतनामा में किस जमीन की वसीयत की गई की पुष्टि नहीं करने, वसीयतनामा किसके पक्ष में संपादित किया गया के संबंध में गलत कथन करने. वसीयतनामा पेन से कागज पर लिखे जाने का कथन करने, जबकि यह टाईपशुदा है, से यह स्पष्ट है कि वादी के पिता जवाहरसिंह द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक 03.04.1991 को ग्राम जिठानी की प्रश्नगत आराजी की अपने पुत्रों अमरसिंह एवं तेजसिंह के पक्ष में किया गया प्रश्नगत वसीयतनामा प्रमाणित नहीं होता है. अतः उक्त वसीयतनामा को सत्य स्वीकार नहीं किया जाता है तथा ऐसे अप्रमाणिक वसीयतनामा से प्रश्नगत आराजी में वादी के अधिकार समाप्त नहीं हो सकते।

***प्रदर्श डी–7ए जो कि ग्राम हथोली की आराजी के संबंध में जवाहरसिंह** द्वारा दिनांक 28.04.1995 को संपादित प्रश्नगत वसीयतनामा है। वसीयतनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस पर साक्षी के रूप में भीमसिंह, घांसी तथा नोटेरी पब्लिक शिवदत्त शर्मा के हस्ताक्षर अंकित है। गवाह वादी शिवदत्त शर्मा ने अपनी साक्ष्य में प्रदर्श पीडब्ल्यू–3 जिरह के दौरान यह स्वीकार किया कि मैं 11.08.1994 से नोटेरी पब्लिक के रूप में काम करता हूँ। प्रदर्श डी 7 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। मैं 28.04.1995 का रेकार्ड लेकर आया हूँ जिस पर 27.04.1995 से 29.04.1995 तक क.सं. 409 से 412 तक वसीयतनामा दिनांक 28.04.1995 का कोई उल्लेख नहीं है तथा मैं रजिस्टर में इन्द्राज किये बिना कोई, दस्तावेज प्रमाणित नहीं करता हूँ तथा प्रदर्श डी–7ए पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रश्नगत वसीयत पर साक्षी के रूप में अंकित भीमसिंह द्वारा स्वहस्ताक्षरित, फोटो सहित नोटेरी शुदा शपथ–पत्र पेश किया जो कि प्रदर्श पी–5 है। बाद में भीमसिंह की मृत्यु हो गई। भीमसिंह ने यह स्वीकार किया कि प्रश्नगत वसीयतनामा पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है, मैनें जवाहरसिंह की किसी वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किये तथा न ही जवाहरसिंह ने मेरे सामने कोई वसीयत नहीं लिखी। प्रतिवादी सं० 3 अमरसिंह ने अपनी जिरह डीडब्ल्यू–1 में यह स्वीकार किया कि प्रदर्श एक्जीविट पी–1 पर हस्ताक्षर भीमसिंह के ही है तथा मैं उनको पहचानता हूँ और इस पर लगा फोटो भीमसिंह का ही है।*

इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जवाहरसिंह द्वारा दिनांक 28.04.1995 को ग्राम हतोली तहसील खानपुर की आराजी के संबंध में किया गया प्रश्नगत वसीयतनामा झूठा एवं अप्रमाणिक होना सिद्ध होता है। इस प्रकार उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर स्पष्टतया निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि जवाहरसिंह द्वारा दिनांक 03.04.1991 को ग्राम जिठानी तहसील सांगोद जिला कोटा की प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपने पुत्रों अमरसिंह एवं तेजसिंह के पक्ष में एवं दिनांक 28.04.1995 को ग्राम हतोली तहसील खानपुर जिला झालावाड़ की प्रश्नगत आराजी का अपनी पुत्र वधुओं भवरबाई पत्नि तेजसिंह एवं भंवरबाई पत्नि अमरसिंह के पक्ष में निष्पादित प्रश्नगत दोनों वसीयतनामें असत्य एवं अप्रमाणिक सिद्ध होने से वादी के अधिकारों पर प्रभाव शून्य है। वादी का उक्त दोनों प्रश्नगत आराजी में उत्तराधिकार के आधार पर 1/4 भाग निहित है, जिसके अधिकारों की घोषणा कराने की वादी अधिकारी है। वादी ने इस तनकी को बखूबी साबित किया है।"

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 में दिनांक 03.04.1991 एवं 28.04.1995 को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के पक्ष में निष्पादित प्रश्नगत वसीयतनामों को वादी के अधिकारो पर प्रभावशून्य मानने में कानूनन कोई भूल नहीं की है क्योंकि वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड उसे वसीयत के निष्पादन के समय गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने वाले गवाहों के द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक है। वसीयत रजिस्टर्ड है किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वसीयत साबित करने की वैधानिक अपेक्षाओं की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने प्रश्नगत दोनों वसीयतनामों को वसीयत निष्पादन पर हस्ताक्षर करने वाले गवाहों

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

के माध्यम से भली भांति झूठा एवं अप्रमाणिक होना सिद्ध किया है। इस संदर्भ में रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2016 पेज नं. 1442, धन्नालाल बनाम मोहित कुमार एवं आरआरटी 2009 (1) पेज नं. 685 (सुप्रीम कोर्ट) भरपुर सिंह बनाम शमशेर सिंह उचित प्रतीत होती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 3 के विवेचन के आधार पर तनकी नं. 4 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है। इसी प्रकार तनकी नं. 5 में प्रतिवादीगण को यह साबित करना था कि वाद अधीनस्थ न्यायालय में श्रवणाधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित करते हुए यह अंकित किया है कि *"इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी का कथन है कि इस प्रकरण को सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, क्योंकि प्रकरण वसीयतनामा की वैधता या अवैधता से संबंधित है। प्रतिवादी ने इसे साबित करने के लिये कोई साक्ष्य पेश नहीं किया, चूँकि यह तनकी राजस्व न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित है। हमने निम्नलिखिल न्यायिक नजीरों का भी ससम्मान अवलोकन किया :–*

1. *उकड़ाराम बनाम् भीकाराम, 1996 आर.आर.डी. 393*
2. *मूल्या बनाम् किशना, 1996 आर, आर.डी. 161*
3. *श्रवण बनाम हरसाराम, 1995 आर.आर.डी. 736*
4. *श्रीमती रामपति बनाम् परसराम, 1995 आर.आर.डी. 532*

हमने दावे एवं प्रतिदावे का सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन किया। दावे का मुख्य अनुतोष पिता की कृषि भूमि में उत्तराधिकार से प्राप्त अधिकारों की घोषणा करवाना है, और कृषि भूमि पर अधिकारों की घोषणा का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को ही है, यह अनुतोष कोई अन्य सिविल न्यायालय प्रदान नहीं कर सकता है। अतः सारतत्व (Pith and Substance) सिद्धान्त के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को ही है।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 5 के संदर्भ में किया गया उक्त विवेचन विधिसम्मत है क्योंकि वादी के दावे का मुख्य अनुतोष पिता की कृषि भूमि में उत्तराधिकार से प्राप्त अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का है और प्रश्नगत वसीयतनामे को अप्रमाणित घोषित करना उसका आनुषंगिक अनुतोष हैं। अतः इस दावे को सुनने व निर्णित करने का अधिकार अधीनस्थ राजस्व न्यायालय को प्राप्त है परंतु इसके विपरीत वसीयतनामे को रद्द करवाना मुख्य अनुतोष होता तो ऐसे दावे का श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होता। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् प्रकरण के तनकीवार निस्तारण में अंकित किये गये उक्त समस्त तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए हम अपील के इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नही समझते।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 14.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 23/12/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1– हेमराज सिंह उर्फ हेमन्त सिंह पुत्र तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा
2– लक्ष्मण सिंह पुत्र तेजसिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा
.....अपीलांट

बनाम

1– पर्वत सिंह पुत्र जवाहर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–
1/1– महेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/2– राजेन्द्र सिंह पुत्र पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/3– विद्या हाडा पुत्री पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
1/4– सरदार कंवर बेवा पर्वत सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी हतोली, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़
2– शम्भू सिंह पुत्र भंवर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी कोटा जिला कोटा राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–
2/1– केशवकान्त सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा. राजस्थान
2/2– दुर्गेश सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा. राजस्थान
2/3– अर्जुन सिंह पुत्र शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा. राजस्थान
2/4– मोहन कंवर बेवा शम्भू सिंह जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 111 बी कोटा जिला कोटा. राजस्थान
2/5– राजलक्ष्मी पुत्री पुत्र शम्भू सिंह पत्नी अशोक सिंह भदोरिया, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी गली नम्बर 7 मकान नम्बर 180 बी कोटा जिला कोटा. राजस्थान
3– सुरेन्द्र सिंह उर्फ सूरज सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा हाल निवासी खेडली फाटक, सुभाष कालोनी कोटा जिला कोटा राजस्थान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

4– अमर सिंह पुत्र जवाहर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–

4/1– भंवरी बाई बेवा अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

4/2– खुमान सिंह पुत्र अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

4/3– ज्ञानकंवर पत्नी ईश्वर सिंह पुत्री अमर सिंह, जाति राजपूत, निवासी घाटोली, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा राजस्थान

5– गिरधारी पुत्र माधो, जाति मीना, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान मृतक कायम मुकामान :–

5/1– प्रकाश पुत्र गिरधारी, जाति मीना, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

5/2– बाबू लाल पुत्र गिरधारी, जाति मीना, निवासी जिठानी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राजस्थान

5/3– धनकुंवर पुत्री गिरधारी, पत्नी सियाराम जाति मीना, निवासी हरिनगर कॉलोनी, डिक्टी जी के मंदिर के पास, झालावाड,राजस्थान

6– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सांगोद जिला कोटा

.....**रेस्पोडेंट**

अपील नं. **2018/00078 (38/2018)** व
मु.द.नं **1088/दावा/2016**

नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, खानपुर**
निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक – **14.02.2018**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **06** माह **12** सन् **2024**

हाजरी **श्री इन्द्रलाल गुप्ता** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री पूरी लाल राठौर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट क्रम 1/1 ल0 1/4 की ओर से, **शेष रेस्पोडेंटगण** अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 14.02.2018 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **23** माह **12** सन् **2024** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)